नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए

राजस्व अपील संख्या 257 / 2018

हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियल जज

अनवान

श्रीमती प्रेमलता बनाम मृत किशनाराम के का0मुकाम सुकीयादेवी वगैरा

दिनांक 22–10–2018

वकील रेस्पो0 उपस्थित । अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही । दिनांक 4–10–18 को रेस्पो0 अधिवक्ता प्रस्तुत आवश्यक सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने रेस्पो0 अधिवक्ता को अवगत कराया कि अपीलांटगण उनसे पत्रावली वापस ले जा चुके है इसलिए उक्त प्रकरण मे उनके द्वारा आगे पैरवी नही की जायेगी तथा उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त करने मे असहमति जाहिर करने पर न्यायालय हाजा से अपीलांटगण को नोटिस जारी किये गये अपीलांटगण के नोटिसेज आबाद मकान पर चस्पा की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है परंतु अपीलांट स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई अन्य अधिवक्ता उपस्थित नही हुए, जिस पर तारीख पेशी दिनांक 11–10–18 एवं 18–10–2018 को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज की गई । आज न्यायालय समय तक अपीलांट एवं उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुए होने पर अपीलांट की उक्त अपील अदम हाजरी मे खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

22/10/18

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए